

न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 19/2017

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हलका भाखरपुरा

बनाम

अप्रार्थी
श्री भेरा पुत्र गुमना कौम रबारी सा. मघा की
ढाणी तहसील गुडामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 28.08.17


- उपस्थित :- 1. पटवारी हलका भाखरपुरा
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी ने सरहद मौजा मघा की ढाणी सरकारी भूमि ख.नं. 748/491 कुल रकबा 10.10 किस्म बा. दो. में से 10.10 बीघा भूमि पर बाड व पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया है , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे प्शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं , जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया ।

नियत तारीख पेशी दिनांक 28.08.17 को प्रार्थी पटवारी हलका उपस्थित तथा अप्रार्थी नोटिस तामिली के बाबजूद अनुपस्थित , अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।


प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी को बेदखल करने , निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का निवेदन किया तथा दंडित करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर अप्रार्थी के अतिक्रमण की पुष्टि होती है अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त भूमि पर मकान इत्यादि निर्माण कार्य को ध्वस्त करने यानि गिराने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे । लगान 1428 रूपये का बीस गुणा 288 अक्षरे रूपये दो सौ अठ्यास्सी शक्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो  ।

WM

जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनांक 28.08.17को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।


(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी